

मु.नं. 106/2015 सन्तान / मनीषा

दिनांक	आज्ञा पत्र	
२८/५/१५	<p>पत्रावली पेश। कमील अपील को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर करना आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये मने हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर सबको से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">मू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प हुन्सुन)</p>	